



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय - कोलकाता, सिंथेसिस बिजनेस पार्क, (विंग-सी, 8वां तल्ला), सीबीडी/1,  
जेएल-23, एक्शन एरिया - II, न्यू टाउन, कोलकाता - 700 156

Regional Office - Kolkata, Synthesis Business Park, (Wing-C, 8th Floor),  
CBD/1, JL-23, Action Area - II, New Town, Kolkata - 700 156

टेल / Tel : (033) 2324 8081 (EPABX) ईमेल / e-mail : rokolkatta@nhai.org, rokolnhai@gmail.com वेब / Web : www.nhai.gov.in



संदर्भ / Ref. no. NHAI/RO-KOL/001/2025/11/37/ 249

दिनांक / Date 04<sup>th</sup> Mar 2025

## INVITATION OF PUBLIC COMMENTS/सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: आर.सी.एफ.ए डिवीजन-1, पी.एच.ई. विभाग के किमी 485+400 से किमी 489+050 (LHS), किमी 486+427 से किमी 488+599 (RHS), किमी 488+651 से किमी 489+100 (RHS) तक और अक्रॉस किमी 486+910 एवं किमी 488+854 एनएच-19 (पुराना एनएच-2) के आर.ओ.डब्ल्यू के साथ भूमिगत जल पाइपलाइन बिछाने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में: **Proposal for laying of underground water pipeline of R.C.F.A Division-I, P.H.E Dte. along & across NH-19 (Old NH-2) in the stretches – along from Km 485+400 to Km 489+050 (LHS), Km 486+427 to Km 488+599 (RHS) & Km 488+651 to Km 489+100 (RHS) & across at Km 486+910 & 488+854, Dist – Paschim Bardhaman, West Bengal.**

परियोजना निदेशक, पकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दुर्गापुर का पत्र संख्या 15017/1/2013/PIU(DUP)PHED 485+400 to 489+050/200 दिनांक 29.01.2025 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का उपयोग हेतु लाइसेंस देने के लिए पी.एच.ई.डी. ने उपरोक्त विषयवस्तु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।/ Project Director, PIU, Durgapur, NHAI vide letter no. 15017/1/2013/PIU(DUP)PHED 485+400 to 489+050/200 dated 29.01.2025 submitted the subject mentioned proposal of PHED for granting license for use of National Highway land.

2. मंत्रालय के परिपत्र ओएम संख्या आरडब्ल्यू/एनएच/33044/29/2015/एस एंड आर (आर) दिनांक 22-11-2016 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि के उपयोग के लिए उपयोगिता सेवा के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव जनहित के आधार पर 30 दिनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराएगा।/ As per Ministry circular issued vide OM no RW/NH/33044/29/2015/S&R(R) dated 22.11.2016, the Highway Administration shall make available the proposal for granting license for use of National Highway land for laying utility service for public comments for 30 days on ground of public interest.

3. उपरोक्त विषयवस्तु सार्वजनिक नोटिस के आलोक में प्रस्ताव पर आम जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं, जो प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय तक प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके उपरान्त कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं होगी।/ In view of the above, comments of general public is hereby invited on subject captioned proposal, which should reach by this office within 30 days from the date of publication, beyond which no comments shall be entertained.

टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती है/ The Comments may be submitted at the following address:-

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) एवं क्षेत्रीय अधिकारी<br>क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण<br>सिंथेसिस बिजनेस पार्क, कार्यालय इकाई - 8सी (विंग सी, 8वीं मंजिल),<br>सीबीडी/1, जेएल-23, एक्शन एरिया-II, न्यू टाउन, कोलकाता-700156 | <b>Chief General Manager (Tech) &amp; Regional Officer</b><br>Regional Office, National Highways Authority of<br>India, Synthesis Business Park, Office Unit - 8C<br>(Wing C, 8 <sup>th</sup> Floor), CBD/1, JL - 23, Action Area - II,<br>New Town, Kolkata - 700156 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

यह सूचना सीजीएम (तकनीकी) एवं आरओ-कोलकाता, एनएचआई के अनुमोदन से है/ This issues with the approval of CGM(Tech) & RO-Kolkata, NHAI.

(अमित सरकार)  
प्रबंधक (तकनीकी)

### प्रतिलिपि:

- वेब प्रशासन, एनएचआई-मुख्यालय-एनएचआई वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड हेतु प्रेषित / Web Admin, NHAI-HQ - with request to upload under "What's New" of NHAI web site.
- तकनीकी निदेशक, एनआईसी, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001- प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट के "नया क्या है" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित।/ Technical Director, NIC, Transport Bhawan, New Delhi - 110001- with the request to upload under "What's New" of Ministry's Web Site for 30 days from the date of publication.
- परियोजना निदेशक, पीआईयू, एनएचआई- दुर्गापुर को सूचनार्थ प्रेषित।/ Project Director, PIU-NHAI, Durgapur - for information.
- एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, आर.सी.एफ.ए डिवीजन-1 पीएचई(डी), इस्माइल (पश्चिम), विवेकानंद पली, आसनसोल-713301 को सूचनार्थ प्रेषित।/ O/o, The Executive Engineer, R.C.F.A Division-I, PHE(D), Ismile (West), Vivekananda Pally, Asansol-713301 - for information.